उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र,
14,सी.एस.पी.सिंह मार्ग, इलाहाबाद
फोन नं0 0532–2421855
e-mail: nczcc@rediffmail.com, website: www.nczcc.in

निविदा सूचना

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद द्वारा आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आवश्यक मंचीय ध्वनि एवं प्रकाश उपकरण किराये पर केन्द्र परिसर के अन्दर माघ मेला क्षेत्र अथवा शहर के अन्य हिस्से में आपूर्ति किये जाने अथवा लगाने हेतु पंजीकृत फर्मों से मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र केन्द्र कार्यालय के लेखा अनुभाग से रू0 500/– नगद अथवा ड्राफ्ट जो (निदेशक उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज के पक्ष में देय हो) प्रति निविदा प्रपत्र जमा करने पर दिनांक 18.10.2021 से 26.10.2021 तक दिन में 3:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा निविदा प्रपत्र सांस्कृतिक केन्द्र की वेबसाइट www.nczcc.in से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। डाउनलोड किये हुए निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क जमा करना आवश्यक होगा। शुल्क निदेशक उ.म.क्षे.सां.केन्द्र के नाम ड्राफ के रूप में **निविदा प्रपत्रों के साथ ही संलग्न करना होगा।** निविदा 27.10.2021 को केन्द्र में अपराह्न 2:00 बजे तक जमा की जायेगी। प्राप्त सभी निविदाओं को 27.10. 2021 को सायं 3:00 बजे तक केन्द्र की समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।

क्र0सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अवधि	निविदा प्राप्त की अन्तिम तिथि	निविदा खोलने का समय
1	मंचीय ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था	31 मार्च, 2022 तक	18.10.2021 से 26.10.2021 को सायं 3:00 बजे तक	27.10.2021 को सायं 3:00 बजे

निदेशक

निविदा की शर्तें

1. दरें प्रत्येक मद, प्रति संख्या प्रति इकाई एक दिन अथवा 15 दिन की अवधि के लिये देनी होगी।
2. निविदादाता की कोई भी शर्त अलग से केन्द्र को मान्य नहीं होगी।
3. निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र को स्वीकृत दरों पर कार्य को दो या दो से अधिक ठेकेदारों के बीच बांटने का अधिकार होगा।
4. सामानों के कार्य स्थल तक ले आने, ले जाने, एवं निदेशित स्थान पर लगाने का व्यय, सामानों के बदलनें एवं पुनः लगाने का व्यय दरों में ही सम्मिलित होगा।
5. सामानों की आपूर्ति केन्द्र परिसर, इलाहाबाद नगर व माघ मेला क्षेत्र में की जायेगी। दी गयी दरों में सामानों की आपूर्ति/लगाने का व्यय भी सम्मिलित होगा।
6. सामानों की आपूर्ति में सभी तरह की प्रतिपूर्ति भी सम्मिलित होगी परंतु, Act of God जैसे दंगा, अग्निकाण्ड, वर्षा आदि से हुई क्षति उक्त प्रतिपूर्ति में शामिल नहीं होगी। कार्यस्थल पर किन्हीं कारणों से यदि कार्यक्रम पहले समाप्त हो जाता है तो वास्तविक उपयोग अवधि का भुगतान किया जायेगा।
7. आपूर्ति किये जाने वाले सामानों की मात्रा आवश्यकता के अनुसार कम या अधिक हो सकती है। ठेकेदार को केन्द्र की आवश्यकतानुसार सामानों की आपूर्ति कार्य स्थल पर करनी होगी।
8. कार्यक्रमों के दौरान वर्ष भर में जिन सामानों की आवश्यकता हो सकती है उनकी दरें आमंत्रित कर ली गयी हैं, परन्तु ठेकेदार को सामानों की आपूर्ति केन्द्र की आवश्यकतानुसार करनी होगी।
9. निर्धारित समय पर ठेकेदार द्वारा सामानों की आपूर्ति न किये जाने पर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में निदेशक का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
10. कार्य स्थल पर उपयोग किये जाने वाले सामानों की रख–रखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी। टूट–फूट के लिये या उपयोग के दौरान किसी सामान के खराब होने के कारण किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति केन्द्र द्वारा देय नहीं होगी।
11. कार्यस्थल पर ठेकेदार द्वारा जिन सामानों की आपूर्ति की जायेगी, उनके संतोषजनक एवं पर्याप्त क्षमता का न होने पर बदलने का दायित्व ठेकेदार का स्वयं का होगा। इसमें किसी प्रकार के नुकसान होने पर ठेकेदार जिम्मेदार होगा। आपूर्तित सामानों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में निदेशक या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
12. आपूर्ति की गयी सभी उपकरण उपयोग करने योग्य, सभी जोड़ के साथ लगे होने चाहिए। गुणवत्ता संतोषजनक न होने पर ठेकेदार के अन्तिम भुगतान से कटौती कर ली जायेगी। विद्युत सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर...

13. सामान्यतया उपकरण की आपूर्ति के लिए ठेकेदार को पर्याप्त समय दिया जायेगा। परन्तु आकस्मिक मांग होने पर सामानों की आपूर्ति तद्नुसार करनी होगी।
14. सम्पूर्ण कार्य उपकरण की आपूर्ति एवं लगाने का कार्य कार्यक्रम शुरू होने के एक दिन पूर्व अधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार पूर्ण करनी होगी।
15. किए गये कार्य का स्तर सुरक्षा और गुणवत्ता की दृष्टि से संतोषजनक न पाये जाने पर इसकी आपूर्ति का प्रबन्ध अन्य एजेन्सी से किया जायेगा एवं इसके लिये किराये पर होने वाले व्यय के अतिरिक्त 15 प्रतिशत धनराशि दण्ड स्वरूप ठेकेदार से वसूल की जायेगी तथा उसकी जमानत राशि जब्त करते हुये अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा।
16. यदि किसी समय पर यह पाया जाता है कि भुगतान अधिक हो गया है तो ठेकेदार की जमानत राशि/लम्बित भुगतान से इसकी वसूल कर ली जायेगी।
17. निविदादाता को स्पष्ट रूप से अपनी दरों को शब्दों एवं अंकों में इंगित करना होगा यदि शब्दों एवं अंकों में अन्तर पाया जाता है तो दोनों में जो कम होगा उसी को सही माना जायेगा। जिस सामग्री की दर नहीं अंकित की गयी उसके आगे निरंक लिख दिया जायेगा।
18. कोई भी निविदा बिना रु0 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) की अग्रिम धनराशि (Earnest Money) के स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदादाता द्वारा अग्रिम धनराशि नकद/डाक बचत, पासबुक/राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के रूप में (निदेशक, उ0म0क्षे0सां0केन्द्र के पक्ष में जमा) करनी होगी।
19. निविदादाता को अपनी कार्यक्षमता प्रमाणित करनी होगी तथा पूर्व के तीन वर्षों में किये गये कार्य का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
20. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जायेगी उसे तीन दिनों के भीतर रुपये 25,000/-(रुपये पच्चीस हजार मात्र) की जमानत राशि केन्द्र के पक्ष में जमा करनी होगी अन्यथा (Earnest Money) अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
21. निदेशक, उ.म.क्षे.सां.केन्द्र को यह विशेषाधिकार होगा कि वह बिना किसी कारण बताये किसी एक निविदा को या सभी निविदाओं को निरस्त कर दें अथवा केन्द्र के हित में किसी एक निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप में स्वीकार कर लें। इस सम्बन्ध में निदेशक का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
22. कार्य स्थल पर कार्य की भाग का माप-जोख (भौतिक सत्यापन) केन्द्र के अधिकारी द्वारा पूर्ण किये जाने तक ठेकेदार निर्माण कार्य न तो हटायेगा और न ही उसमें परिवर्तन करेगा।
23. उ.म.क्षे.सां. केन्द्र ठेकेदार की किसी भी प्रकार का परमिट/लाइसेन्स दिलाने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
24. उ.म.क्षे.सां. केन्द्र किसी भी प्रकार का ट्रक, वैगन, लारी आदि के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ठेकेदार को सामानों की आपूर्ति हेतु स्वयं परिवहन की व्यवस्था करनी होगी, यदि कोई कर देय है तो वह ठेकेदार द्वारा ही देय होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर..

25. स्त्रोत पर कर–कटौती लागू नियमों के अनुसार भुगतान के समय केन्द्र द्वारा की जायेगी।

26. निविदादाता निविदा प्रपत्र के साथ अपनी फर्म का पैन, जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र भी संलग्न करें अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

27. यदि किसी निविदादाता की अग्रिम धनराशि/जमानत राशि किसी अन्य टेन्डर के विरुद्ध केन्द्र में जमा है तो उस राशि का प्रयोग इस निविदा के माध्यम से नहीं किया जा सकेगा।

28. नियम, शर्त एवं दरों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर आवश्यक होगा। ऐसा न पाये जाने पर निविदा निरस्त की जा सकती है। इस हस्ताक्षर का मतलब है कि निविदाकर्ता ने सारे नियम/शर्तें पढ़कर समझ ली है और वह उनसे पूर्णतयाः सहमत हैं।

29. उपरोक्त सभी शर्तों के साथ ठेकेदार/निविदादाता को यह **आवश्यक निर्देश** दिया जाता है कि प्रत्येक कालम में प्रत्येक आइटम पर अपनी दरें स्पष्ट रूप से भरें तथा तथा टैक्स का भी उल्लेख करें। किसी भी प्रकार से पिछले वर्षों की या पुराने टेण्डरों के सापेक्ष किसी भी दर का सम्बन्ध करके प्रतिशत के माध्यम से दरों का उल्लेख मान्य नहीं होगा।

30. पी.ए. सिस्टम के समस्त उपकरण आधुनिक एवं इस प्रकार के हों कि कलाकारों के द्वारा प्रयोग किये जाने वाले वाद्ययंत्रों का आउटपुट आपके सिस्टम में समाहित हो जाये।

घोषणा

मैं/हम...पुत्र श्री .... फर्म ....यह घोषणा करते हैं कि उपरोक्त सभी नियम एवं शर्त पढ़ और समझ ली है। मैं/हम ....पालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

दिनांकँ .... निविदादाता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर .... फर्म का नाम व पता

मो0नं0–

पिन नं0–

पैन कार्ड नं0–

टैक्स नं0–

निविदादाता के हस्ताक्षर..

निविदादाता के हस्ताक्षर...

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र

14, सी0एस0पी0सिंह मार्ग, इलाहाबाद

मंचीय ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था के लिए दरें।

क्र0 सं0	सामानों की मात्रा एवं संख्या						
				अंकों में		शब्दों में	
				रु0	पै0	रु0	पै0
1	2	3		4	5	6	7
1	**पी.ए. सिस्टम**— (1000 दर्शकों के लिए) इसमें पी.ए. सिस्टम से सम्बन्धित सभी उपकरण— 1. मॉनिटर, स्पीकर (बेस सहित आवश्यकतानुसार) 2. एम्प्लीफायर, मिक्सर, 16 माइक, दो कार्डलेस, 2 कॉलर माइक, इको चैम्बर के साथ। (दरें समस्त उपकरणों के साथ)	1.	एक दिन				
		2.	15 दिन				
2	**पी.ए. सिस्टम**— (2000 दर्शकों के लिए) इसमें पी.ए. सिस्टम से सम्बन्धित सभी उपकरण— 1. मॉनिटर, स्पीकर (बेस सहित आवश्यकतानुसार) 2. एम्प्लीफायर, मिक्सर, 16 माइक, दो कार्डलेस, 2 कॉलर माइक, इको चैम्बर के साथ। (दरें समस्त उपकरणों के साथ)	1.	एक दिन				
		2.	15 दिन				
3	24 नग एल.ई.डी. लाइट (स्टैण्ड एवं कंट्रोल सिस्टम के साथ)	1.	एक दिन				
		2.	15 दिन				
4	24 नग पार—64 (स्टैण्ड, टी—ट्रस, वायर एवं कंट्रोल सिस्टम के साथ)	1.	एक दिन				
		2.	15 दिन				
5	एल.ई.डी. स्क्रीन (प्रति वर्गफुट) लैपटॉप के साथ।	1.	एक दिन				
		2.	15 दिन				
6	लीड माइक (एस.एम. 57, 58)	1.	एक दिन				
		2.	15 दिन				
7	अतिरिक्त साधारण माइक	1.	एक दिन				
		2.	15 दिन				

निविदादाता के हस्ताक्षर..

8	अतिरिक्त कार्डलेस माइक	1.	एक दिन				
		2.	15 दिन				
9	अतिरिक्त कॉलर माइक	1.	एक दिन				
		2.	15 दिन				

दिनांकः **निविदादाता के हस्ताक्षर**

फर्म का नाम एवं पूरा पता सहित

निविदादाता के हस्ताक्षर..